

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क० निगरानी -अध्यक्ष / 16


निग-2332-PBR-16

श्रीमती राजजी वशिष्ठ शर्मा 2550

दिनांक 18/7/16 को

प्रस्तुत

  
18-7-16  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

  
18/7/16

- 1- गजानन पोलिथिन इंडस्ट्रीज  
प्रोपा० दिलीप तनय रामनारायण अग्रवाल  
आयु 54 वर्ष निवासी महालक्ष्मी  
अपार्टमेन्ट निजातपुरा उज्जैन, म०प्र०
- 2- श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स  
प्रो० मनोहर तनय मूकचंद अग्रवाल  
आयु 60 वर्ष निवासी 25, नागनाथ की  
गली उज्जैन, म०प्र०
- 3- गिरधारीलाल गोपालदास एन्ड ब्रदर्स  
प्रो० कमल माहेश्वरी आयु 40 वर्ष निवासी  
चूड़ीगली, सखीपुरा, उज्जैन, म०प्र०
- 4- न्यू सुल्तान टायर्स वर्क्स  
प्रो० रहमत उल्ला तनय नन्हें खां  
मुक्लानी आयु 61 वर्ष निवासी 45,  
शिमारी गली, निकममार्ग, उज्जैन, म०प्र०
- 5- सुशीलचन्द्र पुरषोत्तमदास  
प्रो० सुशील खण्डेलवाल, आयु 63 वर्ष,  
निवासी 150, फव्वारा चौक, उज्जैन, म०प्र०



//3//

11- व्हाटसअप हेयर कटिंग

प्र० मुकेश जाधव, आयु 37 वर्ष,

निवासी 32, हिरामिल रोड, उज्जैन, म०प्र०

12- मै० नत्थूलाल एण्ड सन्स

प्र० महेश तिलक तनय नत्थूलाल तिलक

आयु 46 वर्ष, निवासी 25, निजातपुरा,

डॉ० रावत नर्सिंगहोम के पास, उज्जैन, म०प्र०

—आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला

उज्जैन, म०प्र०

----- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध सूचना-पत्र  
अंतर्गत धारा 248 सूचना-पत्र दिनांक 05.07.2016 पारित द्वारा न्यायालय  
तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन प्र०क० /अ-68/2014-15 से परिवेदित  
होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2332-पीबीआर/2016

जिला उज्जैन


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

फाइल में  
अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

02.11.16

आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें सुना गया । उनके द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा उन्हें सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है । अतः तहसील न्यायालय को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है कि वे आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें ।

  
अध्यक्ष